झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक –3/पी॰ एम॰ सी॰/प्र०स्वी०/44/2013–................../राँची/दिनांक............................

प्रेषकः

ई० राजेन्द्र प्रसाद
उप सचिव (अभि॰)

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड, हिनू, राँची।

द्वाराः **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।**

विषयः **सिंचाई यॉंत्रिक प्रमण्डल, देवघर के अन्तर्गत बड़ानदी जलाशय योजना के आउटलेट गेटों एवं त्रिवेणी वीयर योजना के शीर्ष नियामक गेटों का जिर्णोद्धार कार्य हेतु ₹9.45 लाख (नौ लाख पैतालिस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत

1. सिंचाई यॉंत्रिक प्रमण्डल, देवघर के अन्तर्गत बड़ानदी जलाशय योजना के आउटलेट गेटों एवं त्रिवेणी वीयर योजना के शीर्ष नियामक गेटों का जिर्णोद्धार कार्य हेतु ₹9.45 लाख (नौ लाख पैतालिस हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसके अन्तर्गत निम्न कार्य कराये जायेंगे :–

(A) बड़ानदी जलाशय योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य निम्नवत् है (राशि ₹4.42/- लाख) :–

(I) योजना के एक अदद नया आउटलेट गेट का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य।

(II) साइट सील सीट, बॉटम सील सीट एवं टॉप सील सीट लगाने का कार्य।

(III) उत्तोलन प्रणाली (Screw Spindle System) के निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य।

(IV) ट्रेस रेक लगाने का कार्य।

(V) अन्य आवश्यक संबंधित कार्य।

(B) त्रिवेणी वीयर योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य निम्नवत् है (राशि ₹5.03/- लाख) :–

(I) त्रिवेणी वीयर योजना के मुख्य नहर के चेन सं० 364 एवं 635 पर H/R गेट का जिर्णोद्धार कार्य।

(II) उत्तोलन प्रणाली का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य।

(III) अन्य आवश्यक संबंधित कार्य।

3. इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता (यांत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, देवघर होंगे।

4. **यह कार्य बजट शीर्ष :–**

मुख्य शीर्ष 4701– मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना–46–सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन–विस्तृत शीर्ष–05– निर्माण– 45–मुख्य निर्माण के अंतर्गत विकलनीय होगा।

5. इस कार्य का समावेश वर्ष 2017–18, के सी०ओ०बी०टी० में समेकित रूप में है।
6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 300 का अनुपालन दृढता से किया जायेगा।
7. राशि की निकासी देवघर कोषागार से की जायेगी।
8. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।
9. इन कार्यो को वर्ष 2017–18 में प्रारम्भ कर एक वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।
10. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
11. प्रावधानित लौह सामग्रियों में से निकलने वाले लौह सामग्रियों का 40% राशि संवेदक के विपत्र से कटौती कर सरकारी राजस्व में जमा करना होगा।
12. इसके कार्यान्वयन के पूर्व पुर्नस्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
13. इस कार्य की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी, कार्य के प्रारम्भ, कार्य के दौरान एवं कार्य के पूर्ण होने पर करा लिया जायेगा।
14. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
15. प्रस्ताव पर विभागीय अपर मुख्य सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।
16. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांक –3/पी० एम० सी०/प्र०स्वी०/44/2013–................../राँची/दिनांक............................

प्रतिलिपिः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को संसूचनार्थ/योजना–सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांक –3/पी० एम० सी०/प्र०स्वी०/44/2013–................../राँची/दिनांक............................

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, देवघर, झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित्।

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

D:\SE-3\Administrative Apporval\Prasasnik Approval\Baranadi, Triveni Reservoir Scheme.docx

पत्रांक –3/पी॰ एम॰ सी॰/प्र०स्वी०/44/2013–................../राँची/दिनांक............................

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/संयुक्त सचिव (अभि॰) जल संसाधन विभाग, राँची/अभियंता प्रमुख–I/II, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता (यॉंत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/अधीक्षण अभियंता (यॉंत्रिक) सिंचाई यॉंत्रिक अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यॉंत्रिक प्रमण्डल, देवघर/सिंचाई प्रमण्डल, दुमका/अधीक्षण अभियंता योजना, मोनिटरिंग एंव आयोजन अंचल–3 राँची एवं प्रशाखा पदाधिकारी–7 जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

पत्रांक –3/पी॰ एम॰ सी॰/प्र०स्वी०/44/2013–................../राँची/दिनांक............................

प्रतिलिपिः आयुक्त, संथाल परगना को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

पत्रांक –3/पी॰ एम॰ सी॰/प्र०स्वी०/44/2013–................../राँची/दिनांक............................

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदय के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

पत्रांक –3/पी॰ एम॰ सी॰/प्र०स्वी०/44/2013–5411248 प्र॰ स्वी॰/राँची/दिनांक 07.11.2017

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०–3, राँची को प्रशासनिक स्वीकृति On-line करने हेतु प्रेषित।

07/XI/2017
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)
07/11/17

D:\SE-3\Administrative Apporval\Prasasnik Approval\Baranadi, Triveni Reservoir Scheme.docx